चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र : समीक्षात्मक अध्ययन

* डॉ. गजेन्द्र यादव ** डॉ. आर.के.शर्मा

शोधपत्र-इतिहास

आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अंग्रेजी या पश्चिमी शिक्षा के नाम से अभिहित किया जाता है। किन्तु आगे जाकर अग्रेजी के अतिरिक्त आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीय समाज दर्शन एवं विविध भाषाओं के अध्ययन की उपलब्ध होने से इसे आधुनिक शिक्षा का नाम दिया गया था। आधुनिक शिक्षा का प्रारम्भ करके अंग्रेजी वैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय ज्ञान के क्षेत्र में भारत को आधुनिक पाश्चात्य उपलब्धियों के सम्पर्क में ले आए।[1] इससे पूर्व जब भारत का शासन प्रबंध ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ में आया तो उसने देखा कि यहाँ हिन्दु और मुसलमानो दोनो की अपनी शिक्षा सस्थाएँ थी जो उनके धर्म से सम्बधित था।[2] प्रारम्भ में तो कम्पनी ने शिक्षा की पुरानी पद्धति को ही चलने दिया, किन्तु समयोपारन्त भारतीयो को उतरदायित्व पूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से समय–समय पर अनेक परिवर्तन किए। भारतीय को शासन में भाग लेने योग्य बनाया गया तथा इग्लैण्ड में छा रहे उदार विचारो को प्रेरित किया गया। जिसके कारण कैथोलिक मुक्ति कानून (1829 ई0) सुधार बिल (1832, दासता दुरीकरण 1833) और नवीन दरिद्र पोषक कानून (1834) आदि महत्वपुर्ण कार्य हुए।[3] 1857 से पूर्व के समय को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग का काल कहा जा सकता है। यह काल विवादो से पूर्ण रहा, अतः उपलब्धियों की अपेक्षा प्रयोगो की अधिकता रही।

इग्लैण्ड की संसद की ओर से प्रति 20 वर्ष पश्चात कम्पनी में कार्यो के मूल्यांकन द्वारा नया आज्ञा पत्र दिया जाता था। भारतीय शिक्षा के मामले में अभी अन्तिम निर्णय लेने शेष थे शिक्षा प्रणाली की स्थाई नीति निधारित की जानी थी। 1813–53 की अवधि की घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया कि सन् 1853 ई. में भारत में आधुनिक शिक्षा एक ऐसे स्थल पर पहुंच गई थी जहां से भूतकाल की उपलब्धियों का सिंहालोकन किया जाता और भविष्य के लिए दिशा–संकेत किया जाता है। इसके लिए उपयुक्त अवसर भी आ गया था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पुनरावर्तन का समय आ पहुंचा था।[4] इस समिति ने भारत की शैक्षणिक प्रगति के विस्तृत जाचं पड़ताल के और भारत में भावी शिक्षा प्रणाली के लिए एक योजना बनाई और इसे कार्यान्वित करने के लिए कुछ सुझाव व अनुशसांए प्रस्तुत की। इन्ही के आधार पर कम्पनी के संचालन मण्डल ने 19 जुलाई 1854 को शिक्षा नीति घोषित की। बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड के नाम पर यह घोषणा जारी की गई थी, आदेश पारित किया गया था। इसलिए इसे वुड प्रणाली का घोषणा पत्र कहा जाता है।[5]

यह घोषणा पत्र सौ अनुच्छेदो का एक लम्बा अभिलेख था। जिसमे शिक्षा के उद्देश्य माध्यम और सुधारो का विशद विवेचन है। इस योजना की वृहता तथा व्यापकता के कारण ही इसे भारतिय शिक्षा का मैग्नाकार्टा कहा जाता है। मैग्नाकार्टा अंग्रेज सामन्तो द्वारा अपने अधिकारो के लिए प्रतिपादित किया गया था। एक प्रकार का मांगपत्र था। जिसे उन्होने 1215 मे इग्लैण्ड के राजा जान के सम्मुख प्रस्तुत किया था। उनकी मांगे मान ली गई थी, यही लोकतान्त्रिक व्यवस्था का प्रारम्भ माना जाता है। मैग्नाकारी अर्थात् महाधिकार पत्र)[6] भारतीय इतिहास में वुड के घोषणा पत्र का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

शिक्षा का उद्देश्य–(1) इस घोषणा पत्र में यह स्वीकार किया गया था कि कम्पनी सरकार का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को शिक्षित करें। जिससे कि उन्हे सरकारी पदो पर नियुक्त किया जा सके।[7] (2) साथ ही कम्पनी को ऐसे कर्मचारी प्राप्त हो, जिनके हाथों में शासन सम्बधी जिम्मेवारी के कार्य को अधिक विश्वास के साथ सौंपा जा सके।[8] (3) भारतीय भाषाओ तथा अंग्रेजी भाषा के एकीकरण व्यवस्था करना।[9] (4) उपयोगी ज्ञान के प्रसार के द्वारा भारतीयों के बौधिक, नैतिक तथा आर्थिक स्तर को ऊँचा करना था। (5) घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया है, हमारे अत्यन्त पवित्र कर्तव्यों में से एक यह है कि जहां तक हमारे लिए सादृश्य हो, हम भारत के मूल

* अतिथि प्राध्यापक, अहीर कॉलेज, रेवाड़ी
** सहायक प्रोफेसर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

निवासियों को उन विशाल नैतिक और मौलिक वरदानों को देने के लिए साधन बने। जो लाभप्रद ज्ञान के सामान्य प्रसार से प्राप्त होते है।[10]

शिक्षा का पाठ्यक्रम–शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में घोषणा पत्र में कहा गया है कि भारत की सांस्कृतिक भाषाओं के अध्ययन से भारत के ऐतिहासिक परिज्ञान में सहुलियत होगी, हिन्दु तथा मुसलमानों के कानूनों का ज्ञान होगा। अतः घोषणा पत्र में जोरदार शब्दों घोषित किया कि–भारत के शिक्षा प्रसार के विषय में युरोप के समुन्नत कला–कौशल, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य संक्षेप में यूरोपीय ज्ञान हो।[11]

शिक्षा का माध्यम–वुड के घोषणा पत्र में यह तय किया गया कि–भारत में यूरोपीय ज्ञान के प्रसार का माध्यम अग्रेजी तथा देशी भाषाएँ–दोनो ही हों। भारत के सभी उच्च स्कूलो में, जिसमे योग्य शिक्षक हो, इन दोनों भाषाओं की शिक्षा आयोजित की जाएं।

चार्ल्स वुड की अनुशंसाए–सर वुड ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिशों को ऐसी जाति के लोगों से निबटना पडता है। जो धर्म कि कि आवह है और परम्पराओं से धिरे है। हमारा तो कहना है कि तीव्र उत्थान मे इनसे बाधा ही पडती है।[12] इस कारण ब्रिटिश दृष्टिकोण में परिवर्तन की है। जिसके लिए उसने अपने घोषणा पत्र में निम्न सन्तुतियां की।

शिक्षा संबंधी सामान्य संतुति–(1) इस घोषणा पत्र में भारत शिक्षा के प्रसार का दायित्व स्वीकार किया तथा घोषणा की गई कि भारतीयों का नैतिक, बौद्धिक तथा आर्थिक स्तर ऊँचा करने के लिए उपयोगी ज्ञान के प्रसार की अत्यन्त आवश्यकता है। अतः जहां अग्रेंजी साहित्य तथा विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य है वहां सस्कृत एवं अरबी के ज्ञान का भी अपना महत्व है। उच्च विद्यालयो में अग्रेंजी के साथ अन्य भाषाओं में अध्ययन की व्यवस्था होनी। (2) भारतीयों के शैक्षिक हित की रक्षा का भार सरकार को अपने कन्धो पर लेना चाहिए। (3) शिक्षा की व्यवस्था और नीति यह होनी चाहिए कि युरोप की कला, विज्ञान और दर्शन की शिक्षा यहां के लोगो को भी प्राप्त हो। जिसमे कि कम्पनी के उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य ऐसे शिक्षा प्राप्त भारतीय अपने कन्धो पर ले सके। (4) शिक्षा के माध्यम के रूप में सभी स्तरो पर अंग्रेजी पर जोर ना दिया जाए। इसका प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब इसकी जानकारी पर्याप्त रूप में हो जाए। (5) भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जिससे कि जनता और सरकारी कर्मचारी में आदान प्रदान सरल हो सके।[13]

(6) लोक शिक्षा विभागः–वुड के घोषणा पत्र मे शिक्षा के संचालन के लिए प्रत्येक प्रान्त में सामान्य शिक्षा का डायरेक्टर के अधिन एक सार्वजनिक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए। डायरेक्टर की सहायता के लिए निरीज्ञणार्थ अधिकारी नियुक्त किए जाए जो अलग–2 प्रान्तो के शैक्षिक कार्यो की रिपोर्ट समय–समय पर प्रस्तुत करें।[14]

(7) विश्वविद्यालय सम्बधी सन्तुतिः–उदार शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु तथा डिग्री प्रदान करने हेतु सरकार सम्बद्धता वाले विश्वविधालय या परीक्षा वाले विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकती थी। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक चान्सलर और एक वाइसचान्सलर होना चाहिए। जो लन्दन विश्वविद्यालय की पद्धति पर बनाया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय में एक सीनेट होनी चाहिए। जो परीक्षा के लिए नियम बनाऐं और व्यय पर नियन्त्रण रखें। इसे शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों जैसे –भाषा, विधि और तकनीकि विभागो में प्रोफेसर पद पर भी नियन्त्रण का अधिकार होना चाहिए। बम्बई, कलकता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना करके अच्छे कार्य का श्री गणेश किया जा सकता है, क्योकि यहां पर इतनी संस्थाएँ स्थापित हो चुकी थी। जहां से विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए योग्य अभ्यार्थी प्राप्त हो सकते थे। इस विश्वविद्याालय में अधीन कॉलेज आ सकते थे जो इन्टरमीडिएट और डिग्री स्तर तक भी शिक्षा प्रदानकर सकते थे। कॉलेज के अधीन प्राइमरी, मिडिल, हाई और एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल का जाल होगा। जहां भारतीय वर्नाक्युलर भाषा में निम्न कक्षाओं में शिक्षा दी जा सकती थी।[15]

(8) विद्यालयों से सम्बधित सन्तुतिः–शिक्षा के लिए श्रेणीबद्ध विद्यालयों का जाल बिछाया जाएं। क्रमबद्ध विद्यालय स्थापित किए जाएं। सबसे निचले स्तर पर ग्रामीण क्षैत्रो में भी प्राथमिक विद्यालय उनसे ऊपर माध्यमिक विद्यालय फिर हाई स्कूल, कॉलेज और सबसे ऊपर विश्वविद्यालय हो।[16] प्राथमिक पाठ्शालाओं में प्रान्तीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। जिलो में एंग्लोवर्नाक्युलर स्कूलो की स्थापना की गई। इनके इन स्कूलो में अग्रेंजी की शिक्षा अनिवार्य थी।[17]

(9) सरकारी सहायता–शिक्षा क्षैत्र में निजि प्रयत्नो को प्रोत्साहन दिया जाय, निजी व्यक्ति संस्थाएँ, ट्रस्ट, विद्याालय खोल सकते है। इसके लिए उनको सहायता अनुदान दिया जाए। शिक्षको के वेतन, छात्रवृतियां, पुस्तकालयो, विज्ञान प्रयोगशालाओ, भवन निर्माण आदि के लिए अलग–अलग अनुदान की व्यवस्था की जाए। यह सहायता राशि इस बात पर निर्भर रहेगी कि शिक्षण संस्थाएँ निर्धारित योग्यता प्राप्त करें। और शिक्षा का उचित स्तर बनाऐ रखे। इस सहायता अनुदान की नीति से ईसाई मिशनरीज को उनके शिक्षा की गतिविधियो के लिए खूब प्रोत्साहन मिला।[18] (10) भारत के प्रत्येक प्रान्त में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्याल्यो की स्थापना की

जाए और प्रशिक्षण अवधि में छात्रवृति दी जाए। (11) छात्रो को छात्रवृति देने की विस्तृत प्रथा का प्रारम्भ किया जाए। जिससे योग्य छात्रो को सभी स्तरो पर छात्रवृति दी जाए। (12) रोजगार प्राप्त करने के लिए पहले शिक्षित व्यक्ति को तरजीह दी जाए। (13) संस्कृत, अरबी और फारसी की शिक्षा के लिए उनकी वर्तमान शिक्षण संस्थाओ को बनाऐ रखा जाए। (14) सरकार अपनी शिक्षण संस्थाओ में धार्मिक तटस्थता की नीति अपनावें। (15) पाश्चात्य साहित्य की पुस्तको का अनुवाद भारतीय भाषाओ में कराया जाए।

चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र की समीक्षा–वुड के घोषणा पत्र में भारत में प्रचलित की जाने वाली शिक्षा के आधारभूत सिद्धान्त का विश्लेषण किया गया तथा भविष्य की शिक्षा नीति के लिए दिशा निर्देश दिये गये। इस घोषणा में उल्लेखित लगभग सभी अनुशंसाए स्वीकार कर ली गई और उन्हे कार्यान्वत किया गया। उन्हे व्यवहारिक रूप दिया गया। इससे सन् 1854 ई. से शिक्षा क्षैत्र में नवीन युग प्रारम्भ होता है। सन् 1854 से 1900 तक लगभग 50 वर्ष की अवधि में शिक्षा प्रणाली का पाश्चात्यीकरण तीव्र गति से हुआ। शिक्षा का पाश्चात्यीकरण इसलिए हुआ कि शिक्षा योजना, नीति और स्वरूप इग्लैण्ड में प्रचलित शिक्षण संस्थाओ के नमूने की दास्तापूर्ण अनुकृति थी। वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक लम्बे संघर्ष का पटाक्षेप है। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र इन संघर्षो का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके भारतीय शिक्षा पद्धति में निश्चितता तथा व्यवस्था लाई जो पूर्व में नहीं थी। यह घोषणा पत्र उदार दृष्टिकोण से प्रेरित था। जिसमें धार्मिक संकीर्णता का कोई अस्तित्व नहीं था।[19] इस घोषणा पत्र में शिक्षा प्रसार की तो बात कहीं गई, पर प्रत्येक बालक की अनिवार्य शिक्षा के लिए कोई नीति व योजना का उल्लेख नहीं था। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धान्त की उपेक्षा की गई।[20]चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति ने सहायता अनुदान के सिद्धान्त पर बल दिया। वह सभी सरकारी स्कूलों और कालेजों को भारतीय प्रबन्ध समितियों को संचालन के लिए सौंपने के लिए सहमत नहीं थी क्योंकि उसे भारतीयों के हाथों में नहीं देना चाहती थी, इसलिए भारतीयों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान की प्रणाली प्रारम्भ की गई।[21] वुड के घोषणा–पत्र का उद्देश्य ऐसे शिक्षित भारतीयों का वर्ग उत्पन्न करना जो ब्रिटिश उद्योगो व कल कारखानों के लिए भारत में कच्चे माल को पैदा करने में सहायक हो और ब्रिटेन में तैयार माल में समर्थक और उपभोक्ता हो, सरकारी नौकरियों में रहकर भी ब्रिटिश राज तथा सता के प्रति स्वामिभक्त बना रहे।[22] सर विलियम हटिंग ने अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है–"भारत के कल्याण के लिए बुद्धिमता का विकाश करने वाली नीति का निर्धारक थी।" कुछ अन्य विद्वानों ने इसे भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा (महाधिकार–पत्र) कहा है। पर यह प्रसन्नता अतिशयोक्तिपूर्ण है क्योंकि इस घोषणा पत्र का उद्देश्य ऐसी शिक्षा देना नही था। निष्कर्ष रूप में यहीं कहा जा सकता है कि वुड के घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा के विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए। वो तत्कालीन परिस्थितियों में अनुकूलन थे। यदि घोषणा–पत्र के आदेशों तथा परामर्शो को पूर्वतः कार्यान्वित किया जाता तो आज भारतीय शिक्षा की स्थिति कुछ अलग होती। यदि इस घोषणा–पत्र कि आशाएँ पूरी न हो सकी तो इसका उतरदायित्व घोषणा–पत्र पर नहीं बल्कि उन लोगों पर है। जिनके जिम्मे घोषणा–पत्र की सिफारिशों को अमली जामा पहनाने का भार था। फिर भी आधुनिक शिक्षा की जो भी उपलब्धियाँ अंग्रेजी शासनकाल में हुई, उनका अधिकाश श्रेय घोषणा–पत्र को ही है।

संदर्भ ग्रन्थ– 1. पी. एल गौतम – आधुनिक भारत, राज, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर, पृ0– 325 2. प्रो. लक्ष्मीनारायण गुप्ता – भारतीय सवैधानिक तथा राष्ट्रीय विकाश, प्रेम प्रकाशन मन्दिर आगरा, पृ0– 210 3. पी. एल गोतम – आधुनिक भारत, राज, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर, पृ0– 330 4. बी. एन लुनिया – आधुनिक भारत जनजीवन और संस्कृति, कमल प्रकाशन, इनदौर 5. दा कलैक्शन ऑफ डिस्पैच फ्रोम दा होम गवरमेन्ट ऑन दा सबजैक्ट ऑफ एज्युकैशन इन इंडिया– 1854–1867 ;कलकताद्ध 1830, पृ0– 13 6. विकाश नौटियाल – आधुनिक भारत, वासू पब्लिकेशनस, दिलली, पृ0– 534 7. जी. एस छाबड़ा – आधुनिक भारतीय इतिहास – एक प्रगत अध्ययन, पृ0– 252 8.जी. एस छाबड़ा–आधुनिक भारतीय इतिहास – एक प्रगत अध्ययन, पृ0– 252 9. प्रो. लक्ष्मीनारायण गुप्ता – भारतीय सवैधानिक तथा राष्ट्रीय विकाश, प्रेम प्रकाशन मन्दिर आगरा, पृ0– 210 10. दा कलैक्शन ऑफ डिस्पैच फ्रोम दा होम गवरमेन्ट ऑन दा सबजैक्ट ऑफ एज्युकैशन इन इंडिया–1854–1867 (कलकता) 1830, पृ0–13 11. राकेश त्रिवेदी–भारतीय शिक्षा का इतिहास (स्वतन्त्रतापूर्ण) आयेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ–106 12. जी. एस छाबड़ा–आधुनिक भारतीय इतिहास–एक प्रगत अध्ययन, पृ0–251 13. जी. एस छाबड़ा–आधुनिक भारतीय इतिहास–एक प्रगत अध्ययन, पृ0–252 14. **Director of Public Instruction** 15. (अ) जी. एस छाबड़ा–आधुनिक भारतीय इतिहास–एक प्रगत अध्ययन, पृ0–252 (ब) जैन, एम.एस, आधुनिक भारत का इतिहास, जयपुर, पृ0–180 16. बी.एल ग्रोवर–आधुनिक भारत का इतिहास दिल्ली, पृ0–256 17. Teach Your Self. रामेश्वर प्रसाद 18. बी.एल ग्रोवर– आधुनिक भारत का इतिहास दिल्ली, पृ0–256 19. राकेश त्रिवेदी–भारतीय शिक्षा का इतिहास (स्वतन्त्रतापूर्ण) आयेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ– 112 20. बी. एन लुनिया–आधुनिक भारत जनजीवन और संस्कृति, कमल प्रकाशन, इनदौर, पृ0–594 21. बी. एन लुनिया–आधुनिक भारत जनजीवन और संस्कृति, कमल प्रकाशन, इनदौर, पृ0–594 22. Education Despatch of 1854, PP- 4